XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टि[illegible] तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49(जी) अन्तर्गत

विविध अनुमति वाद संख्या–36/2011

मिठु उराँव पिता–स्व0 कामती उराँव, साकिन–लाईन टोला, मरंगा पूर्व, थाना–के0 हाट (मरंगा), जिला–पूर्णियाँ

—————आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

—————विपक्षी

आ दे श

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी लड़की की शादी एवं स्वरोजगार के लिए टेम्पो खरीदने के लिए मौजा मरंगा, थाना नं0–110 तौजी नं0–8/5, परगना हवेली खाता नं0–175, खेसरा नं0–1832, कुल रकवा 0.16 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 (जी) अन्तर्गत अनुमति हेतु दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि मौजा मरंगा, थाना नं0–110, तौजी नं0–8/5, परगना हवेली खाता नं0–175, खेसरा नं0–1712, 1713, 1714, 1715, 1851, 1714/6384, रकवा 01 एकड़ 79 डि0 जमीन एवं मौजा विरपुर, थाना नं0–102, तौजी नं0–8/5, परगना हवेली खाता नं0–537, खेसरा नं0–397, रकवा 01 एकड़ 24 डिसमिल एवं खाता नं0–538 ,खेसरा नं0–401 रकवा 01 एकड़ 26 डि0, कुल रकवा 02 एकड़ 50 डि0 जमीन उनके पास है, जिसमें से उपरोक्त भूमि बिक्री करने की अनुमति की मॉग की है। प्रश्नगत भूमि का लगान 2010–11 तक भुगतान है ।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने आने पत्रांक–1924, दिनांक 12.11.2011 के द्वारा जॉच प्रतिवेदित समर्पित किये है जिसमें वर्णित है कि :–

निम्न वर्णित जमीन आवेदक के स्व0 पिता, आवेदक के नाम पर जमाबंदी दर्ज है।

मौजा	थाना नं0	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
मरंगा	110	175	1832	40डि0 हिस्सा
विरपुर	102	537 538	397 401	2.50 डि0 हिस्सा

बिक्री किये जाने वाली जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
मरंगा	110	175	1832	0.04 डि0

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक के पास कुल शेष जमीन 2.86 डि0 बच जाती है । आवेदक अपनी लड़की की शादी एवं स्वरोजगार के लिए प्रश्नगत भूमि बिक्री करना चाहते है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है। बिक्री करने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नही आतें है । प्रश्नगत भूमि भुदान, बिहार सरकार एवं सैरात से मुक्त है। लगान वर्ष 2010–11 तक भुगतान है। अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी पुत्री की शादी एवं स्वरोजगार करने हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	